

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265279
SG-DL-E-07082025-265279असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 167
No. 34]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947	[N. C. T. D. No. 167

भाग II—I

PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

सं. मु.चु.अ./चु.सं./ 102(55)/Pt. File/2025/284.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के लिए

निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संबंधी
सार्वजनिक सूचना

यतः, भारत के उपराष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उप राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी, मैं, पी.सी. मोदी एतद्वारा सूचना देता हूँ कि—

- (i) अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को कमरा संख्या आरएस 28, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली स्थित उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो सहायक निर्वाचन अधिकारी, सुश्री गरिमा जैन, संयुक्त सचिव/श्री विजय कुमार, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में किसी भी दिन (सार्वजनिक अवकाश-दिन से भिन्न) मध्याह्न पूर्व 11 बजे से मध्याह्न पश्चात् 3 बजे के बीच, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त, 2025 तक परिदत्त किए जा सकेंगे;
- (ii) प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से संबद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (iii) प्रत्येक अभ्यर्थी केवल पंद्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाचन अधिकारी के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;
- (iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;
- (v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न, नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा उक्त कार्यालय, कमरा संख्या एफ—100, संगोष्ठी—2, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 में शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे की जाएगी;
- (vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को अपराह्न तीन बजे से पहले परिदत्त की जा सकेगी;
- (vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में, मतदान इन नियमों के अधीन नियत किए गए मतदान के स्थान में मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 को मध्याह्न पूर्व 10 बजे और मध्याह्न पश्चात् 5 बजे के बीच होगा।

नई दिल्ली,

7 अगस्त, 2025

पी.सी. मोदी, उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी
और महासचिव, राज्य सभा

आदेश से

टोंगमिनथांग मिसाओ, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 7th August, 2025

No. CEO/COE/102(55)/Pt. File/2025/284.—The following is published for general information:—

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER FOR**VICE-PRESIDENTIAL ELECTION, 2025****PUBLIC NOTICE****OF****ELECTION TO THE OFFICE OF VICE-PRESIDENT OF INDIA**

WHEREAS a notification under sub-section (1) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the Office of Vice-President of India has been issued by the Election Commission I, P.C. MODY, the Returning Officer for such election, do hereby give notice that—

- (i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in Room No. RS-28, First Floor, Parliament House, New Delhi, or if he is unavoidably absent, to the Assistant Returning Officers, Ms. Garima Jain, Joint Secretary/Shri Vijay Kumar, Director, Rajya Sabha Secretariat at the said office between 11 a.m. and 3 p.m. on any day (other than a public holiday) not later than Thursday, the 21st August, 2025;
- (ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector;
- (iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of Rupees Fifteen Thousand only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;
- (iv) forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the time aforesaid;
- (v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of Section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at the said office in Room No. F-100, Sangoshthi-2, First Floor, Parliament House, New Delhi, on Friday, the 22nd August, 2025 at 11 a.m.;
- (vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before three o'clock in the afternoon of Monday, the 25th August, 2025;
- (vii) in the event of the election being contested, the poll will be taken on Tuesday, the 9th September, 2025 between the hours of 10 a.m. and 5 p.m. at the place of polling fixed under the rules.

New Delhi

Dated the 7th of August, 2025

P.C. MODY, Returning Officer For The Vice-Presidential Election, 2025

AND Secretary-General, Rajya Sabha

By Order

TONGMINTHANG MISAO, Deputy Chief Electoral Officer, Delhi